न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 138/2015

1 भवानी सिंह पुत्र ओनाड़ सिंह।
2 बजरंग सिंह पुत्र गणपत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 पोखर पुत्र बिड़दुराम जाति जाट निवासी उदय नगर तन भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 दशरथसिंह पुत्र ओनाड़सिंह।
3 उम्मेद सिंह पुत्र ओनाड़सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
4 भगवाना (फौत)
4/1 सूवा देवी बेवा भगवाना।
4/2 केदार पुत्र भगवाना।
4/3 प्रकाश पुत्र भगवाना।
4/4 रतन पुत्र भगवाना।
4/5 रामोतार पुत्र भगवाना।
4/6 सन्ती पुत्री भगवाना।
4/7 रफली पुत्री भगवाना।
5 कैलाश पुत्र कालू।
6 रामेश्वरलाल (फौत)।
6/1 गुलाबी बेवा रामेश्वर।
6/2 बाबुलाल पुत्र रामेश्वरलाल।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Web Copy - Not Official

6/3 मुकेश पुत्र रामेश्वरलाल।
6/4 कान्ता पुत्री रामेश्वरलाल।
7 मातादीन पुत्र गिरधारी।
8 बनवारी पुत्र गिरधारी समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
9 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना।
10 उप पंजियक नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान विरूद्व
निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2015 पीठासीन
अधिकारी सत्यवीर यादव न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर नीमकाथाना
राजस्व लोक अदालत कॅम्प रोड़ भूदोली दावा
संख्या 112/2014 उनवानी प्रकरण पोखर बनाम
दशरथसिंह आदि अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः— 23.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना एवं पदेन सहायक कलेक्टर नीमकाथाना द्वारा मुकदमा संख्या 112/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष एक वाद संख्या 112/2014 दिनांक 10.06.2014 को पोखर बनाम दशरथ सिंह आदि पेश किया वादी पोखर ने वाद के भूमि खसरा नम्बर 1219 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1220 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1221 रकबा 7.96 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.98 हैक्टेयर वाके ग्राम भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में अपना 1/6 हिस्सा संयुक्त खातेदार एंव काश्तकार का बताकर उसमें हक हिस्से का विभाजन बंटवारा न्यायालय द्वारा किये जाने का निवेदन किया वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तलबी हेतु दिनांक 04.07.2014 को पेशी नियत की न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2014 को नोटिस जारी किये तथा दिनांक 08.04.2015 को प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर दिनांक 16.06.2015 को राजस्व लोक अदालत में डिक्री जारी कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 को पारित कर दिया उक्त आदेश से व्यथित होने पर प्रतिवादी संख्या 2 व 4 अपीलांट के द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नही हुई है। तामील पर एक ही गवाह का नाम है। जिसका भी कोई विवरण अंकित नही है विभाजन प्रस्ताव हेतु मौके पर उपस्थिति बाबत कोई नोटिस जारी नही किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है। हमारे कब्जे एवं रहवास के स्थान को रेस्पोडेंट को दे दिया है। अत अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विभाजन का दावा था पक्षकारों की रकबे में कमी बेसी नही की है। प्रतिवादी संख्या 4 ने मूलवाद में उपस्थित होकर इकबाली जवाब दिया है तामील सम्यक हुई है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में तामील का अवलोकन किया गया तामील पर एक ही गवाह का नाम अंकित है। इस गवाह का विवरण भी अंकित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में तामील सम्यक नही मानी जा सकती है।

विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु उपस्थिति के लिए पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाना भी प्रकट नही होता है। विभाजन प्रस्ताव पर भी किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में बाद सुनवाई पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.12.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर